न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5908/2002/हनुमानगढ</u>

दीपाराम पुत्र श्योलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ – मृतक जरिये वारिसान–
1. मु0 मोहनी देवी बेवा दीपाराम
2. सरबती पुत्री दीपाराम
3. रेशमी पुत्री दीपाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम
5. भादर पुत्र दीपाराम
6. महावीर पुत्र दीपाराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नागरमल पुत्र मूलचन्द –मृतक जरिये वारिसान–
1/1. कृष्ण उर्फ किशनलाल पुत्र नागरमल
1/2. दीनदयाल पुत्र नागरमल

समस्त जाति अग्रवाल निवासी भादरा जिला हनुमानगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये भादरा जिला हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थित–

श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1/1 व 1/2

निर्णय

दिनांक 02.07.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–09–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज वादी दीपाराम ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भादरा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरानम्बर 201 की 16बीघा, खसरा नम्बर 125 की 44.15बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज थी, जिसमें से खसरा नम्बर 125 के पूर्वी हिस्से की 8.9बीघा भूमि रतीराम को विक्रय कर दी व इसके चिपते ही 11बीघा भूमि वादी को विक्रय करके मौके पर कब्जा दे दिया। प्रतिवादी के पास भूमि विक्रय करने के पश्चात् 24.10बीघा भूमि रहीं। भू–प्रबन्ध विभाग ने वादी की उक्त भूमि का अंकन करते समय 2.10बीघा भूमि कम दर्ज कर दी व प्रतिवादी के नाम अधिक दर्ज कर दी। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर 2.10बीघा भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 09 विवाद्यक की विरचना करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा वादी अपीलार्थीगण की

ओर से प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-04-2002 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-09-2002 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादी अपीलार्थी का दावा था कि उसने प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या-1 से साबिक खसरा नम्बर 125/2 की 11बीघा भूमि खरीद की थी जिसका पैमाईश में नया खसरा नम्बर 195 बना परन्तु उसकी 11बीघा भूमि दर्ज करने के बजाय 08बीघा 10बिस्वा भूमि दर्ज कर दी एवं प्रतिवादी की 24बीघा 10बिस्वा की बजाय 27बीघा दर्ज कर दी। यह तथ्य प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि उसकी कुछ भूमि बढी है, मौके पर कब्जा खरीद के समय से वही पर है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रतिवादी के पास 25बीघा 06बिस्वा भूमि शेष रहती है तो फिर 27बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम रिकार्ड में कहां से आई, इस तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नजरअन्दाज कर दिया। उनका कथन है कि वास्तव में वादी अपीलार्थी का मौके पर 11बीघा भूमि पर ही कब्जा है परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों ने गलत रूप से वादी की भूमि 08बीघा 10बिस्वा रिकार्ड में दर्ज कर दी। उनका कथन है कि नक्शा में रास्ते को मौके की स्थिति से हटकर पूर्व की ओर दिखाया गया है, उसी

से यह अन्तर आ गया है। उनका कथन है कि प्रकरण में भूमि का ज्यादा होने का प्रश्न नहीं बल्कि केवल रिकार्ड में भूमि वादी के कर्म दर्ज की है एवं प्रतिवादी की ज्यादा दर्ज की गयी है तथा नक्शे में रास्ता गलत दर्ज किया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1/1 व 1/2 ने अपनी बहस में कथन किया कि बैयनामा दिनांक 8-6-1961 से खसरा नम्बर 125 रकबा 44.15बीघा भूमि में से 11बीघा भूमि अपीलार्थी को विक्रय की। उक्त भूमि के चिपते ही अपीलार्थी का खेत था, अपीलार्थी ने बीच की डोल हटाकर खरीदशुद्धा भूमि अपने पुराने खेत में मिला ली। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने अपने पुराने खेत व सेटलमैन्ट से पहली की स्थिति आदि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया कि जो भूमि मैने खरीद की थी उसके साथ में रास्ता चलता था व रास्ता से पूर्व की भूमि खरीद की थी। रास्ते के पश्चिम की तरफ की भूमि प्रतिवादी नागरमल की है। जब से मैने जमीन खरीद की रास्ता उसी जगह पर है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् तनकीवार समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी दीपाराम ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भादरा के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 201 की 16बीघा, खसरा नम्बर 125 की 44.15बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज थी, जिसमें से खसरा नम्बर 125 के पूर्वी हिस्से की 8.9बीघा भूमि रतीराम को विक्रय कर दी व इसके चिपते ही 11बीघा भूमि वादी को विक्रय करके मौके पर कब्जा दे दिया। प्रतिवादी के पास भूमि विक्रय करने के पश्चात् 24.10बीघा भूमि रहीं। भू–प्रबन्ध विभाग ने वादी की उक्त भूमि का अंकन करते समय 2.10बीघा भूमि कम दर्ज कर दी व प्रतिवादी के नाम अधिक दर्ज कर दी। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर 2.10बीघा भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 09 विवाद्यक की विरचना कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–04–2002 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मुख्य तनकी संख्या–2 व 3 के निर्णय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवादित 02बीघा 10बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 125/2 मिन से बनी है या किसी ओर खसरे से। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में स्पष्ट कहा कि वादी की जो 02बीघा 10बिस्वा भूमि कम आई है वह

उसी के चिपते पुराने खेत में लग गई है। वादी ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि सेटलमैन्ट के पहले उसने अपने पुराने खेत व खरीदे गये खेत को मिला लिया था। ऐसी परिस्थिति में वादी को अपने पुराने खेत की भूमि व पुख्ता भूमि का अलग अलग विवरण तथा खरीदशुद्धा भूमि का पैमाईश से पूर्व व बाद के रिकार्ड पूरे विवरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी अपीलार्थी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने नागरमल प्रतिवादी से रास्ते के पूरब की तरफ वाली भूमि खरीद की थी व भूमि खरीद करके पुराने खेत में मिला ली थी। जब मैने जमीन खरीद की थी तो रास्ता तभी उसे उस जगह पर है। पैमाईश से पहले मेरा खातेदारी खेत कितने बीघा था, यह मुझे जानकारी नहीं है। उक्त स्वीकारोक्ति के पश्चात् रास्ते के दूसरी तरफ की भूमि का वादी को खातेदार माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों तनकीयात को वादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। साथ ही अन्य तनकीयात पर भी विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी मूल वाद में कायम की गयी सभी तनकीयात पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत

सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विस्तृत विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 19-09-2002 एवं 17-04-2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजीलाल दायमा)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य